

प्रेषक,

ओम प्रकाश द्विवेदी
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय
जवाहर भवन, लखनऊ।

वित्त संसाधन (सामान्य) अनुभाग

लखनऊ दिनांक 22 अगस्त, 2017

विषय -वित्तीय वर्ष 2017-2018 में प्राविधानित बजट में से स्वीकृत लेखानुदान की धनराशि घटाने के बाद शेष वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपयुक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के पत्र संख्या-8/2017 बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-2018 में प्राविधानित धनराशि ₹0 175.94 लाख (₹0 एक करोड़ पचहत्तर लाख चौरान्बे हजार मात्र) में से शासन के पत्र संख्या-आर0जी0-342/दस-2017-44/17, दिनांक 13 अप्रैल, 2017 द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की धनराशि ₹0 77.29 (₹0 सतहत्तर लाख उन्तीस हजार मात्र) को घटाने के बाद शेष ₹0 98.65 लाख (₹0 अठानवे लाख पैसठ हजार मात्र) की धनराशि जिसका विवरण निम्नवत् है, आपके निर्वर्तन पर रखने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

मानक मदें

(धनराशि लाख रुपये में)

01- वेतन	69.63
03- महंगाई भत्ता	4.81
04- यात्रा व्यय	0.24
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.01
06- अन्य भत्ते	4.67
07- मानदेय	0.03
08-कार्यालय व्यय	0.3
09-विद्युत देय	0.01
11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.21
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.17
13-टेलीफोन पर व्यय	0.35
14-मोटर गाडियों का क्रय	0.01
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेटोल आदि की खरीद	1.17
16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.75
22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	0.09

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

26-मशीने और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	0.01
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.18
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.35
46-कम्प्यूटर हाडवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2.63
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण /तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का कय	1.46
49- चिकित्सा व्यय	0.46
51- वर्दी व्यय	0.03
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	9.08
योग-	98.65

(रू0 अठानबे लाख पैसठ हजार मात्र)

- 2- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि धनराशियों का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेंसियल हैंडबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व एसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। उपरोक्त स्वीकृत धनराशि किसी अन्य मद/सेवा पर व्यय नहीं की जायेगी। उक्त धनराशि का व्यय संगत नियमों तथा आदेशों की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद ही किया जायेगा। व्यय को कड़ाई से साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर ही रखा जाय तथा मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। कम्प्यूटर एवं उसके सहवर्ती उपकरणों का क्रय आई. टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देशानुरूप/आदेशानुरूप ही किया जाय।
- 3- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-2018 के अनुदान संख्या-65 के लेखार्शोषक-2052-सचिवालय-सामान्य सेवाये-091-संलग्न कार्यालय-03-वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(ओम प्रकाश द्विवेदी)
विशेष सचिव।

संख्या- 04/2017-आर0जी0990 (1)/दस-2017-44/2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0इलाहाबाद।
- 2-महालेखाकार लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0इलाहाबाद।
- 3-कोषाधिकारी जवाहर भवन,लखनऊ।
- 4-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 5-गार्ड फाइल

आज्ञा से ,
(आनन्द कुमार राय)
अनु सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।